International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 9 Issue 08 Ser. III || August 2020 || PP 65-72

धनबाद जिला में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार हेतु गैर–सरकारी संस्थानों की भूमिकाः एक अध्ययन

तरूण कुमार महतो[1] एवं खगेन्द्र कुमार[2]
[1] *शोधार्थी, शिक्षा विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना*
[2] *प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना*

शोध–सारः
अध्ययन के मुख्य उद्देश्य के तहत धनबाद जिले में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार हेतु एनजीओ की भूमिका को परिभाषित किया गया है। माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किये जा रहे हैं साथ ही वैसे निजी विद्यालयों को बढ़ावा दे रही है जो अच्छे गुणात्मक शिक्षा प्रदान कर रही है। माध्यमिक शिक्षा के सर्वभौमीकरण की दिशा में गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी और क्रियाशीलता बहुत ही प्रभावी रूप से हो रही है। जिले के प्रत्येक प्रखण्ड में एनजीओ संचालित माध्यमिक विद्यालय है, जो अपनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था द्वारा छात्रों के उच्च बौद्धिक स्तर बढ़ाने तथा उसके सर्वांगीण विकास करने सम्बन्धी अपने दायित्व को बखुबी निभा रहा है। जिले में सभी 40 स्थपना अनुमति प्राप्त विद्यालयों का योगदान जिले के बेहतर परीक्षाफल के प्रतिशत आँकड़े बढ़ा रहा है।
विशिष्ट शब्दः– *माध्यमिक शिक्षा, सार्वभौमीकरण, गैर–सरकारी संगठन, सर्वांगीण विकास*

परिचयः

वैश्वीकरण के इस दौर में पूरे विश्व में यह महसुस किया जा रहा है कि आर्थिक और उत्पादन सम्बन्धी क्षमता व्यक्ति के उच्च शिक्षा और व्यावसायिक क्षमता से प्रभावित होता है। आज के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वातावरण में अच्छे गुणों से युक्त मानव एक अति महत्वपूर्ण संसाधन है। पिछले दो दशक से विकास की अवधारणा, आय एवं आय का वितरण मानव संसाधन के विकास के अनुसार विचलित हो रहा है। विचलन को देखते हुए शिक्षा के कल्याणकारी उपागम, अधिकार आधारित उपागम में बदला गया है। वर्ष 2002 में संविधान में किये गये 86वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 21'ए' को शामिल किया जिसमें 6–14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किये जाने को मौलिक अधिकार बनाया गया है। अनुच्छेद 21'ए' के अनुरूप उपर्युक्त विधान को कानूनी रूप देने के लिए 4 अगस्त, 2009 को संसद ने सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा (आरटीई) अधिनियम 2009 को मंजूरी दी थी और इसे 27 अगस्त, 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इस अधिनियम में व्यवस्था है कि प्रत्येक बच्चे को पूर्णकालिक संतोषजनक एवं स्तरीय प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह शिक्षा उन्हें औपचारिक विद्यालयों में दी जानी होगी जो आवश्यक नियमों और मानदंडों के अनुरूप स्थापित किये गये हों। 86वाँ संशोधन अधिनियम, 2002 और बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009, कानूनी रूप से 1 अप्रैल, 2010 से लागू हो गये हैं।

12वीं पंचवर्षीय योजना भी शिक्षा के भूमिका पर बल देती है और कहती है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। इसलिए शिक्षा के महत्व को देखते हुए राष्ट्र के विकास में 12वीं पंचवर्षीय योजना शिक्षा के प्रसार पर केन्द्रित है। शिक्षा के सभी स्तर पर (प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा) प्रसार के लिए सरकार ने विभिन्न योजनायें लागू की हैं। सर्वशिक्षा अभियान (2001) को 'शिक्षा के अधिकार अधिनियम' के अनुरूप कार्यान्वित करने के लिए कई उपाय किये गये हैं। सर्वशिक्षा अभियान के वजह से लगभग 99 प्रतिशत बच्चे प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या कम होकर सिर्फ 3–4 प्रतिशत रह गयी है।

माध्यमिक शिक्षा (वर्ग नवम् एवं दशम्) प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के बीच की शिक्षा है। माध्यमिक शिक्षा में छात्रों का आयु 11 से 17 वर्ष है। इस अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं। बच्चों का बनना व बिगड़ना, इसी अवस्था में होता है। अतः माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के बाद की कड़ी है। माध्यमिक स्तर वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में रीढ़ का कार्य करता है। जिस प्रकार रीढ़ मनुष्य के समस्त शरीर को सम्भाले रहती है, ठीक उसी प्रकार बच्चे के जीवन–निर्माण में इस स्तर की शिक्षा का विशेष महत्व है। यह ऐसी अवस्था है, जिसमें बच्चे में शारीरिक व मानसिक परिवर्तन व विकास तेजी से होता है। कुछ लोग इसे उच्च शिक्षा की आधार–शिक्षा तथा तैयारी की अवस्था मानते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट 2013–14 के अनुसार भारत सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच में वृद्धि करने तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से मार्च 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) योजना आरम्भ की गयी। इसमें पाँच वर्ष के अन्दर किसी बस्ती से तर्कसंगत दूरी के अंदर माध्यमिक स्तर पर नामांकन दर को वर्ष 2005–06 के 52.26 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने की परिकल्पना है। यह केन्द्र प्रायोजित योजना है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 6,000 मॉडल स्कूल की स्थापना, मौजूदा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन/अपग्रेडेशन, मौजूदा विद्यालयों का मजबूतीकरण, KGBV, IEDC, व्यावसायिक शिक्षा को अपग्रेड करना आदि योजना लागू किया जा रहा है।

विश्व बैंक रिपोर्ट, 2009 के अनुसार भारत में चार प्रकार के विद्यालय हैं–

1. सरकारी विद्यालय, जो केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा स्थापित हैं।
2. स्थानीय निकाय विद्यालय, जो स्थानीय सरकार जैसे नगरपालिका द्वारा स्थापित किया गया है।
3. निजी विद्यालय, जो सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं।
4. निजी विद्यालय, जो अनुदान नहीं पाते हैं।

सरकारी और स्थानीय निकाय विद्यालय, पूरी तरह से सरकारी व्यवस्था द्वारा संचालित एवं वित्तभारित होते हैं। सामूहिक रूप से दोनों को सरकारी विद्यालय कहा जाता है। इन विद्यालयों में माध्यमिक स्तर के कुल (नामांकित) छात्रों का लगभग 40 प्रतिशत नामांकित होते हैं। जो निजी विद्यालय सरकारी सहायता अनुदान प्राप्त करते हैं, वे राज्य सरकार द्वारा वित्त भारित होते हैं लेकिन वे केन्द्र सरकार द्वारा वित्त भारित नहीं होते हैं। इन विद्यालयों में कुल माध्यमिक विद्यार्थियों का लगभग 30 प्रतिशत नामांकित रहते हैं। ऐसे विद्यालय शिक्षकों के वेतन, प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए निरंतर सरकारी सहायता पाते हैं लेकिन फिर भी वे निजी प्रबन्धन के अधीन ही रहते हैं। उनका भूमि, साजो–सामान और कुछ अवैतनिक आवश्यक खर्च जैसे अपना पूंजी खर्च होता है। ये विद्यालय राज्य के नियमों व कानूनों से बंधे होते हैं, जो सभी योग्य बच्चों का नामांकन बगैर धर्म, जाति, भाषा आदि के विभेद किये लेते हैं। शिक्षकों को तनख्वाह प्रति ईकाई के ग्रेड ऑफरों के संख्या के आधार पर या समकक्ष मापदंडों के आधार पर मिलते हैं। जो विद्यालय अंग्रेजी को शिक्षण की भाषा के रूप में उपयोग करते हैं, वे सहायक अनुदान के लिए कम वांछित होते हैं। अनुदानित विद्यालय अभिभावकों से स्वैच्छिक शुल्क/सहयोग प्राप्त करने के अनुमत होते हैं लेकिन उनका शुल्क सरकारी नियमों के तहत ही होता है। कई राज्यों में उन्हीं विद्यालयों को सहायक अनुदान प्रणाली में रखा गया है जिसका स्थापना 1986 से पहले हुआ है।

गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय, अपने सभी आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति विद्यालय के शिक्षण शुल्क एवं अन्य फंड्स/निधि से करते हैं जो वे खुद से बनाते हैं। इन विद्यालयों को पाठ्यक्रम, शिक्षण का माध्यम, विद्यार्थी के नामांकन जैसे– लिंग, धर्म के आधार पर लेने, छात्र–शिक्षक अनुपात, शिक्षण शुल्क संरचना आदि में स्वायत्तता अपेक्षाकृत अधिक होती है। हालाँकि शिक्षकों का शैक्षिक योग्यता तथा उसके सेवा सम्बन्धी शर्तें राज्य के नियमों के अनुसार ही निर्धारित है फिर भी ये नजरंदाज कर दिये जाते हैं। कई निजी विद्यालय अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाते हैं जो भारतीय परिवारों की बढ़ती हुई माँग ही होती है। चूँकि निजी गैर अनुदान प्राप्त विद्यालय शिक्षण शुल्क पर आधारित है, इसलिए यहाँ परम्परागत रूप से मध्यमवर्गीय परिवार के बच्चे ही पहुँचते हैं। गैर अनुदानित विद्यालयों का नामांकन में हिस्सेदारी कुल माध्यमिक विद्यालयों के 15 प्रतिशत (1993–94) से बढ़कर 30 प्रतिशत (2004–05) हो गया है जो मध्य वर्ग के वृद्धि को दर्शाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार, सन् 2001 में सर्व शिक्षा अभियान योजना के शुभारम्भ से प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर में अत्यधिक वृद्धि हुई। शिक्षा व्यवस्था के अनुसार इस तरह के वृद्धि, जल्द ही माध्यमिक स्तर की मांग में अपने वृद्धि का कारण बना। पिछले 20 वर्षों में माध्यमिक स्तर में नामांकन दर में तीव्र वृद्धि हुई है। नई आर्थिक नीति के बाद शिक्षा को देश के आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाने लगा है। 2000 के बाद, माध्यमिक नामांकन 5.4 प्रतिशत के औसत दर से बढ़ चुका है। वास्तविक अर्थ में सन् 2004–05 में माध्यमिक नामांकन 37.1 मिलियन विद्याार्थी था, जहाँ 65 प्रतिशत (24.3 मिलियन) निम्न माध्यमिक (कक्षा 9 और 10) तथा 35 प्रतिशत (12.7 मिलियन) उच्चतर माध्यमिक (कक्षा 11 एवं 12) में था। एक अनुमान सेलेक्टेड एजूकेशनल स्टैटिक्स, 2004–05, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार माध्यमिक शिक्षा की मांग 2007–08 तथा 2017–18 के बीच लगभग 17 मिलियन छात्र प्रतिवर्ष बढ़ेगा। इसमें अधिकतर छात्र ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से होंगे। इन माँगों को देखते हुए नये माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण अधिकाधिक सुनिश्चित करना होगा।

अनुदान प्राप्त विद्यालय तथा गैर अनुदान प्राप्त विद्यालय दोनों का ही प्रबन्धन गैर सरकारी संगठन (न्यास, निकाय, सोसाइटी) द्वारा किया जाता है। अगर दोनों स्तर के नामांकन को मिला दिया जाए तो देश के कुल माध्यमिक नामांकन का लगभग 60 प्रतिशत नामांकन गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों का है, यह अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। स्वैच्छिक संस्थान की घटना हमारे देश में नयी नहीं है। स्वैच्छिक प्रयास हमारे सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्परा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों की शुरूआत प्राचीन काल से हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के इतिहास की तिथि निर्धारण कम से कम 1839 ई0 से है। अनुमान है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय गैर सरकारी संगठनों की संख्या 40,000 है। राष्ट्रीय संख्या और भी अधिक है। भारत में 1 मिलियन और 2 मिलियन के बीच गैर सरकारी संगठन होने का अनुमान है।

संयुक्त राष्ट्र संघ (1945) के अनुसार– "सभी प्रकार के गोपनीय/विश्वस्त संस्थान जो सरकारी नियंत्रण से स्वायत्त है, को एनजीओ कहा जा सकता है। एनजीओ एक राष्ट्र के सरकार को एक विपक्षी राजनीतिक पार्टी के रूपरेखा में संतुलित करने के लिए कोशिश नही कर सकता है। एनजीओ को बगैर अपराधिक एवं बगैर लाभ के भी होने की आवश्यकता है।"

विश्व बैंक (1990) एनजीओ को इस प्रकार परिभाषित करते हैं– "एक संगठन या लोगों का समूह जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के किसी विशिष्ट उद्देश्य एवं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो किसी समुदाय या क्षेत्र या परिस्थिति के वांछित बदलाव से सम्बन्धित है, चुनौति को स्वतंत्र रूप से काम कर पूरा करते हैं।"

विल्लेट (1990) के अनुसार– "एक स्वतंत्र स्वैच्छिक लोगों का समूह/समिति है, जो बिना किसी सरकारी ऑफिस, पैसा निर्माण या गैर–कानूनी क्रियाक्लापों को प्राप्त किये, सामान्य या सामूहिक उद्देश्य हेतु निरन्तर आधार पर एक सासथ काम करते हैं।"

शिक्षा के क्षेत्र में गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) का कार्य निम्नांकित क्षेत्र पर फोकस करता है–

- अनौपचारिक शिक्षा उन कामकाजी बच्चों तक पहुँचाना जो विद्यालय नही जाते हैं।
- साक्षरता दर में वृद्धि हेतु प्रशिक्षण–अधिगम संसाधनों का निर्माण एवं विकास करना।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण, समाज का मजबूतीकरण।
- विद्यालय छोड़ चुके बच्चों के नामांकन एवं पुनर्शिक्षण हेतु।
- विषय–वस्तु से सम्बंधित तकनीकी में सुधार हेतु
- मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन हेतु।
- विद्यालय के आधारभूत संरचना में सुधार लाने हेतु।

समस्या का महत्वः

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की रिपोर्ट 'भारत 2013' के अनुसार 'माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा के बीच सेतु का काम करती है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम और सर्वशिक्षा अभियान की सफलता के बाद अब यह जरूरी हो गया है कि माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की ओ बढ़ा जाए।' माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु रणनीतियाँः बॉर्ड की भूमिका, 2008, राँची, झारखण्ड के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1130 मिलियन है जहाँ 30 प्रतिशत शहरी आबादी, जीवन अनुपात 63.7 वर्ष, वयस्क/प्रौढ़ साक्षरता 61 प्रतिशत, 15 वर्ष से कम आयु वाली जनसंख्या 33 प्रतिशत तथा नामांकन 63 प्रतिशत है, जो अन्य देशों जैसे श्रीलंका, चीन, ब्राजील, मलेशिया, मेक्सिको के अपेक्षा चुनौतिपूर्ण है। भारत में विश्व की कुल बच्चों का 19 प्रतिशत रहते हैं जो तुलनात्मक रूप से भारत के कुल जनसंख्या का 42 प्रतिशत है, जो मुक एवं कोमल हैं, वे खुद की वकालत नही कर सकते। इनका विकास मुख्य रूप से समाज द्वारा इनपर किये गये निवेश पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में संशोधित) के अनुसार "माध्यमिक शिक्षा के पहुँच में प्रसार हेतु बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के नामांकन पर बल देना होगा, खासकर विज्ञान, कॉमर्स और व्यावसायिक शाखाओं में।" माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए सभी युवा व्यक्तियों तक अच्छे गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और वहन करने योग्य माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सभी तक इसकी पहुँच हेतु 12वाँ पंचवर्षीय योजना में 5 कि.मी. के अन्दर एक माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करना उद्देश्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत सरकार ने काफी कदम उठाये हैं। माध्यमिक शिक्षा हेतु खर्च 0.9 प्रतिशत जीडीपी को क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाकर 2 प्रतिशत तक ले जाने की रणनीति बनायी गयी है। इसके साथ ही अच्छे गुणात्मक निजी विद्यालयों को बढ़ावा दे रही है। खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा (वर्ग 9–10) में कुल नामांकन 2.43 करोड़ है जिसमें 1.46 करोड़ लड़के एवं 1.01 करोड़ लड़कियाँ हैं। सेलेक्टेड शैक्षिक सांख्यिकी, 2004–05 के अनुसार नवम् एवं दशम् में कुल नामांकन अनुपात 51.65 (लड़का–57.39 तथा लड़की–45.28) है जबकि कुल विद्यालय परित्यक्त (ड्रॉपआउट) दर (वर्ग 1 से 10) 61.92 (लड़का–60.41, लड़की–63.88) है। झारखण्ड का कुल नामांकन दर (जी.ई.आर.) भारत के औसत 52 के तुलना में 26 है जो न्यूनतम बिहार (22) से थोड़ा ही ऊपर है। भारत में शिक्षा हेतु 10 प्रतिशत है जो चीन, ब्राजील, अमेरिका, स्वीट्जरलैण्ड, डेनमार्क, मलेशिया के अपेक्षा बहुत कम है। साक्षरतादर बढ़ाने में खासकर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी प्रयास के अलावे निजी शिक्षण संस्थान की क्या भूमिका यह जानना भी जरूरी है।

अध्ययन का उद्देश्यः

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य धनबाद जिला में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका को जानना है।

शोध की विधिः– गुणात्मक एवं परिमाणात्मक शोध विधि का उपयोग कर शोधकर्त्ता ने माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों (NGO) की भूमिका का अध्ययन किया। गुणात्मक आँकड़े विभिन्न दस्तावेज, विभिन्न शोधपत्र, पत्रिकायें, लेख/निबंध एवं अन्य लिखित अध्ययनों से प्राप्त हुए हैं। अध्ययन के जनसंख्या के अन्तर्गत वे सभी एनजीओ आते हैं जो धनबाद जिला में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इस अध्ययन को तीन फेज में बाँटा गया। पहले शोधकर्त्ता ने झारखण्ड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सभी प्रकार के विद्यालयों का अध्ययन किया जो किसी निबंधित न्यास, निगम या सोसाईटी द्वारा संचालित है तीसरे चरण में उन एनजीओ की भूमिका का अध्ययन किया गया है जिसे झारखण्ड सरकार द्वारा स्थापना अनुमति प्राप्त है। इस अध्ययन में यादृच्छिक विधि द्वारा चुने हुए गैर–सरकारी संगठनों का केस अध्ययन किया गया है।

जाँच परिणाम : झारखण्ड में शिक्षा की स्थिति को दिये गये सारिणी में दर्शाया गया है।

सारिणी–1

क्रम संख्या	विद्यालयों का विस्तृत ब्योरा	विवरण
1.	राजकीय उच्च विद्यालय	3
2.	राजकीयकृत उच्च विद्यालय	48
3.	(+2) विद्यालय (48 राष्ट्रीयकृत विद्यालयों के अन्तर्गत)	4
4.	अपग्रेडेड +2 विद्यालय (48 राष्ट्रीयकृत विद्यालयों के अन्तर्गत)	5
5.	अपग्रेडेड राष्ट्रीय उच्च विद्यालय	56

6.	प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय (1981–82)	02
7.	प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय (1984–85)	03
8.	अल्पसंख्यक विद्यालय	09
9.	मदरसा विद्यालय	04
10.	संस्कृत विद्यालय अनुदान प्राप्त	01
11.	Propreity विद्यालय	02
12.	स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय (पुराना)	09
13.	स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय (नया)	31
14.	DIET (प्रशिक्षण महाविद्यालय)	01
15.	बुनियादी विद्यालय	04
16.	राजकीय मध्य विद्यालय	01
17.	कस्तूरबा विद्यालय	06
18.	केन्द्रीय विद्यालय	05
19.	नवोदय विद्यालय	01
20.	C.B.S.E.	41
21.	I.C.S.E.	09
22.	इंटर महाविद्यालय	22
23.	डिग्री महाविद्यालय	11
24.	बी.एड.	09
25.	कल्याण	01

स्रोतः धनबाद जिला शिक्षा कार्यालय रिकॉर्डः 2016.

सारिणी–1 धनबाद जिला के अन्दर संचालित हर तरह के शिक्षण संस्थानों का संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता है। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा देने के लिए सरकारी एवं गैर–सरकारी दोनों प्रकार के विद्यालयों का उल्लेख है। कुल 183 माध्यमिक विद्यालयों में 40 स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय है जो झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची से मैट्रिक की परीक्षा लिखते हैं। वर्ष 2019 में स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों की संख्या 41 है। अर्थात् लगभग 22 प्रतिशत संख्या स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों की है। अल्पसंख्यक, मदरसा, संस्कृत, स्थापना अनुमति प्राप्त आदि सभी तरह के विद्यालय निजी स्वयंसेवी संगठनों द्वारा संचालित होते हैं। इस संगठन को सरकार द्वारा मान्यता मिला हुआ है। ऐसे स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय को झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की शर्तों के अधीन परिषद् स्थापना की अनुमति हेतु विचार करती है। विद्यालय को प्रस्तावित करने वाला निकाय अथवा न्यास, सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1960 (अधिनियम 21, 1860) के अधीन निबंधित होता है, इसमें कम से कम 07 सदस्यों का प्रबन्ध कारिणी समिति होता है जिसमें एक ही परिवार के अथवा निकट संबंधी दो व्यक्ति सदस्य नहीं होता है। विद्यालय प्रारम्भ करने के कम से कम 06 माह पूर्व झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क दस हजार रूपये का बैंक ड्राप्ट संलग्न कर सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के पदनाम से जमा करना होता है तथा विद्यालय प्रबंधन को विद्यालय के शर्तों की पूर्ति के सम्बन्ध में शपथ पत्र संलग्न करना होता है। विद्यालय खोलने के लिए अनुमति आवेदन पत्रों के आधार पर परिषद् कार्यालय में वरीयता क्रम में पंजी का संधारण किया जाता है जो किसी कार्य दिवस को पंजी का अवलोकन किया जाता है। पंजी का संधारण डिजिटल फॉरमेट में भी तैयार किया जाता है, यह सूचना परिषद् के अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध रहता है। इस आधार पर झारखण्ड अधिविद्य परिषद् ने निम्नांकित नियम व शर्तें सुनिश्चित किया है–

1. विद्यालय प्रबन्धन से प्राप्त अभिलेखों एवं साक्ष्य के आधार पर झारखण्ड अधिविद्य परिषद् यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय प्रस्तावित करने वाले न्यास, निकाय अथवा सोसाइटी का आवर्तक वार्षिक आय पर्याप्त है जिससे कि विद्यालय संचालन और कर्मियों को वेतनादि भुगतान करने के लिए उक्त संस्था सक्षम है।
2. इसके खाते की सुरक्षा कोष में जमा करने के लिए राशि उपलब्ध है तथा भवन, प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय निर्माण के लिए सुरक्षित कोष है।
3. प्रारम्भ में निर्माण कार्य के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2 लाख रूपये एवं शहरी क्षेत्र के लिए 5 लाख रूपये का कोष, भवन, सुरक्षा कोष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि के लिए पर्याप्त माना जाएगा।
4. अपना भवन का निर्माण होने तक विद्यालय के पास वर्ग कक्ष और कार्यालय चलाने के लिए कम से कम प्रत्येक छात्र पर 2.5 वर्गफीट जगह वाली कमरा/भवन किराया पर या निबंधित लीज पर होना चाहिए।
5. ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम दो एकड़ एक खण्ड में और शहरी क्षेत्र में 50 डिसमिल एक खण्ड में भूमि का स्वामित्व एवं कब्जा विद्यालय ने प्राप्त कर लिया हो।

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा उपरोक्त उपबन्धों के आलोक में सम्यक् समीक्षोपरान्त विद्यालय को स्थापना अनुमति शर्तों की पूर्ति शपथ पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त कर ही प्रदान करती है। प्रस्वीकृति–स्थापना अनुमति प्राप्त संस्था दो वर्ष के अन्दर प्रस्वीकृति के शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात् प्रस्वीकृति हेतु आवेदन देने के लिए प्राप्त होती है। (नोट– पूर्व में बिहार सरकार/झारखण्ड सरकार द्वारा दी गयी स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों को भी इस नियमावली के

अन्तर्गत ही प्रस्वीकृति प्राप्त होती है।) प्रस्वीकृति हेतु निर्धारित पात्रता जैसे भूमि–ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम–2 (दो) एकड़ तथा शहरी क्षेत्र में न्यूनतम 50 डिसमिल भूमि विद्यालय के नाम से निबंधित या 30 वर्षों के निबंधित लीज पर होनी चाहिए। इसी प्रकार, प्रशिक्षित शिक्षकों का विषय एवं रोस्टर आधार पर संख्या, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर लैब, तड़ित चालक, अग्निशमन यंत्र, कमरों का निशित आकार, खेल का मैदान आदि कई विभिन्न बिन्दुओं के अंतर्गत निश्चित नियम/शर्तों को लागू किया गया है। इसके पूर्ण होने के पश्चात् ही स्वीकृति हेतु परिषद् आगे की कार्यवाही करती है।

उपरोक्त नियमावली को पूरा करने वाले कुछ निबंधित गैर–सरकारी संगठनों, निकायों या सोसाईटी को झारखझड अधिविद्य परिषद्, राँची द्वारा स्थापना अनुमति प्रदान कर माध्यमिक विद्यालय संचालन हेतु मान्यता दी गयी है। धनबाद में ऐसे विद्यालयों की संख्या (नये एवं पूराने को मिलाकर) 40 है जिसमें 9 पुराने एवं 31 नये स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय है। यह विद्यालय झारखण्ड सरकार एवं केन्द्र सरकार के माध्यमिक शिक्षा के प्रसार कार्यक्रम को ही आगे बढ़ा रहे हैं इसलिए प्रस्वीकृति प्राप्त विद्यालयों को राज्य सरकार अनुदान भी प्रदान करती है। धनबाद जिला में स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय का विवरण प्रखण्ड (ब्लॉक) के आधार पर निम्नांकित सारिणी–2 में दिया गया है।

सारिणी–2

वे विद्यालय जो झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची द्वारा स्थापना अनुमति प्राप्त हैं, प्रखण्ड के साथ विवरण

क्रम सं0	विद्यालय का नाम	ब्लॉक/प्रखण्ड
	स्थापना अनुमति– पुराना	
1.	संत एंथोनी उच्च विद्यालय, धनबाद	धनबाद
2.	आदर्श माध्यमिक विद्या निकेतन, भूली डी–ब्लॉक	धनबाद
3.	नेहरू शताब्दी उच्च विद्यालय, मुनीडीह, धनबाद	धनबाद
4.	मारवाड़ी उच्च विद्यालय, झरिया	झरिया
5.	विद्या बिहार बालिका उच्च विद्यालय, सुदामडीह, झरिया	झरिया
6.	मंदाकिनी उच्च विद्यालय, बड़ा जमुआ, गोविन्दपुर	गोविन्दपुर
7.	आर. एन. एस. उच्च विद्यालय, पाँचपोटारी, निरसा	निरसा
8.	कारीटाँड़ उच्च विद्यालय, मँझलाडीह, धनबाद	धनबाद
9.	उच्च विद्यालय, कुंजी, धनबाद	बागमारा

	स्थापना अनुमति– नया	
1.	नेहरू बालिका उच्च विद्यालय, भुलीनगर, धनबाद	धनबाद
2.	विद्यालय उर्दू–इस्लाह, वासेपुर, धनबाद	धनबाद
3.	प्र. शहीद शक्तिनाथ महतो स्मारक उच्च विद्यालय, आजाद सिजुआ, धनबाद	धनबाद
4.	करकेन्द उच्च विद्यालय, करकेन्द, धनबाद	धनबाद
5.	नेपाल रवानी उच्च विद्यालय, धनबाद	धनबाद
6.	एस. एस. एन. एम. एस. उच्च विद्यालय, बलिहारी, कुसुंडा	धनबाद
7.	डिनोबिली स्कूल, सी.एफ.आर.आई., डिगवाडीह, झरिया	झरिया
8.	भारतीय कन्या उच्च विद्यालय, अजमेरा, सुदामडीह	झरिया
9.	सरस्वती विद्या मंदिर, भोरा	झरिया
10.	संत कॉपरेटिव सरस्वती विद्या मंदिर उच्च विद्यालय, पाथरडीह	झरिया
11.	आर. के. एम. एम. उच्च विद्यालय, कुसुमदाहा, बलियापुर	बलियापुर
12.	उच्च विद्यालय, कुसमाटाँड़, बलियापुर	बलियापुर
13.	बागमारा उच्च विद्यालय, बड़दोही, गोविन्दपुर	गोविन्दपुर
14.	मदर टेरेसा उच्च विद्यालय, बलियापुर, सिन्दरी	गोविन्दपुर
15.	एस. बी. एस. उच्च विद्यालय, बड़दोही, गोविन्दपुर	गोविन्दपुर
16.	वनस्थली उच्च विद्यालय, तिलैया (राँगाटाँड़), धनबाद	गोविन्दपुर
17.	रॉय अकाडमी, गोविन्दपुर	गोविन्दपुर
18.	आदर्श उच्च विद्यालय, जे.ओ.सी.पी., चिरकुंडा	निरसा
19.	आदर्श उच्च विद्यालय, जामकुदर, अपबोना, निरसा	निरसा
20.	जगृति उच्च विद्यालय, खोखरापहरी, निरसा	निरसा
21.	डॉ. ए. उच्च विद्यालय, जुलकुदर	निरसा
22.	संत जेवियर उच्च विद्यालय, पोखरिया, टूंडी	टूंडी
23.	एस.एस.एन.एस. उच्च विद्यालय, पोखरिया, टूंडी	टूंडी
24.	सरस्वती विद्या मंदिर, रतनपुर, टूंडी	टूंडी
25.	संत जोन डी. ब्राइट विद्यालय, गोमो, तोपचाँची	तोपचाँची

26.	उमे सलमा उर्दू बालिका उच्च विद्यालय, तोपचाँची	तोपचाँची
27.	श्री विष्णु सेवाश्रम विद्यापीठ, सिंहदाहा	तोपचाँची
28.	रवि महतो स्मारक उच्च विद्यालय, महुदा, बागमारा	बागमारा
29.	नेहरू बालिका उच्च विद्यालय, तेतुलमारी, बागमारा	बागमारा
30.	राजेन्द्र बालिका उच्च विद्यालय, कतरासगढ़, बागमारा	बागमारा
31.	बालिका उच्च विद्यालय, मुदीडीह, सिजुआ	बागमारा

स्रोत– जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, धनबाद रिपोर्ट, 2016–17

सारणी–2 गैर–सरकारी संगठनों द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों की प्रखण्ड के स्थिति के अनुसार सूची प्रदान करता है। यह पूरे धनबाद जिला के प्रत्येक प्रखण्ड में शिक्षा के प्रचार–प्रसार हेतु भूमिका निभा रहा है। सरकारी विद्यालयों के साथ–साथ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में इनकी भी भागीदारी महत्वपूर्ण रूप से देखा जा सकता है। इन विद्यालयों में से कुछ विद्यालयों को संचालनकर्त्ता एन.जी.ओ./ट्रस्ट/ सोसाइटी के साथ सारिणी–3 में दिया गया है। यह चुनाव सिंपल रेण्डम प्रतिचयन के तहत किया गया हैः

सारिणी–3

क्रम सं.	गैर–सरकारी संगठनों/ट्रस्टों का नाम	भौगोलिक स्थिति	संचालित विद्यालयों का नाम
1.	वनस्थली शिक्षा एवं स्वास्थ्य विकास समिति, तिलैया, धनबाद	ग्रामीण एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र	वनस्थली उच्च विद्यालय, तिलैया (राँगाटाँड़), अन्य सहायक विद्यालय– वनस्थली विद्यापीठ, धावाचिता; झारखण्ड पब्लिक स्कूल, पांडरपाला
2.	विनोद बिहारी स्मारक समिति, धनबाद	अर्द्ध शहरी क्षेत्र	मंदाकिनी उच्च विद्यालय, बड़ा जमुआ, धनबाद
3.	श्री विष्णु सेवाश्रम विद्यापीठ, सिंहदाहा	ग्रामीण	श्री विष्णु सेवाश्रम विद्यापीठ, सिंहदाहा
4.	रवि महतो स्मारक शिक्षा एवं स्वास्थ्य विकास समिति, महुदा, धनबाद	अर्द्ध शहरी क्षेत्र	रवि महतो स्मारक उच्च विद्यालय, महुदा, धनबाद
5.	शक्ति ग्राम विकास संघ, सिजुआ, धनबाद	अर्द्ध शहरी क्षेत्र	शहीद शक्ति नाथ महतो स्मारक उच्च विद्यालय, आजाद सिजुआ, धनबाद
6.	दिव्य ज्योति विकास समिति, तेतुलमारी, धनबाद	ग्रामीण व अर्द्ध शहरी क्षेत्र	नेहरू बालिका उच्च विद्यालय, करकेन्द्र
7.	मारवाड़ी सम्मेलन ट्रस्ट, झरिया	शहरी	मारवाड़ी उच्च विद्यालय, झरिया

सारिणी–3 से, यह साक्ष्य है कि सात गैर–सरकारी संगठनों द्वारा माध्यमिक स्तर के शिक्षा के प्रसार हेतु धनबाद जिसमें महत्वपूर्ण रूप से काम किया जा रहा है, जो निम्न है–

'वनस्थली शिक्षा एवं स्वास्थ्य विकास समिति, तिलैया'– इस एन.जी.ओ. द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय 'वनस्थली उच्च विद्यालय, तिलैया (राँगाटाँड़)' अपनी स्थापना काल 1990 ई0 से ही ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अलख जगा रही है। यहाँ से पढ़कर निकले बच्चे देश भर में विभिन्न अच्छे पदों पर चयनित होकर देश के उत्तरोत्तर विकास में योगदान दे रहे हैं। इस संस्था को वर्ष 2008 में झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची से स्थापना अनुमति प्राप्त हुआ है। एनजीओ एवं विद्यालय दोनों के सचिव श्री हरि प्रसाद महतो ने कहा कि यह विद्यालय संगठन झारखण्ड आन्दोलन के पितामह स्व0 बिनोद बिहारी महतो के सपनों को साकार कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के बालक एवं बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वर्षों से प्रदान कर रहा है। विद्यालय में प्रशिक्षत एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा बहुत ही अच्छी एवं सुनियोजित ढंग से शिक्षा प्रदान करने के कारण ही हाल के वर्षों में विद्यालय झारखण्ड के मैट्रिक के परीक्षा में यहाँ के बच्चों का रिजल्ट जिला के प्रथम दस स्थानों में लगातार आता रहा है। वर्ष 2012 में उत्तीर्ण जिला के प्रथम एवं द्वितीय स्थान में यहाँ के बच्चे ही आये थे, इन दोनों छात्रों को बी.सी.सी.एल. जैसी महारत्न कंपनी द्वारा आगे की शिक्षा के लिए गोद लिया गया। विद्यालय में कम्प्यूटर की शिक्षा, विज्ञान प्रयोशाला, पुस्तकालय, विद्यालय की आधारभूत संरचना, शौचालय, खेल के मैदान बहुत अच्छी हालत में है। लगभग 11 एकड़ में फैले यह विद्यालय ग्रामीण एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों के शिक्षा हेतु वरदान साबित हो रहा है। इस विद्यालय के आस–पास अन्य माध्यमिक विद्यालय बहुत दूर है जहाँ तक पहुँचना खासकर लड़कियों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौति बन जाता, ऐसे में इस एन.जी.ओ. द्वारा संचालित विद्यालय के द्वारा चहुँमुखी विकास सुनिश्चित हुआ है। हालाँकि इस विद्यालय को झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची द्वारा स्थायी प्रस्वीकृति नही मिला पाया है, जिसकारण यहाँ सरकार द्वारा कोई सरकारी सहायता या अनुदान नही मिल पा रहा है। स्थायी प्रस्वीकृति के लिये प्रयास किया जा रहा है लेकिन सरकारी काम में प्रणाली दोष एवं भ्रष्टाचार के कारण बहुत अच्छे विद्यालयों में शुमार होने के बावजूद सफलता अभी तक नही मिल पाया है। स्कूल के शिक्षकों के मानदेय एवं विद्यालय में अन्य तरह के खर्च के लिए बच्चों की फीस पर ही निर्भरता है, उसमें भी शिक्षण शुल्क नाम मात्र का लिया जा रहा है। वर्ग नवम् एवं दशम् का शिक्षण शुल्क मात्र 200 रूपये निर्धारित है, जो आज के समय के बाजार भाव के अपेक्षा बहुत ही कम है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के सर्वागीण विकास हेतु संकल्पित होने के कारण संचालन समिति

के सदस्यगण निःस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं। वर्तमान में विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या लगभग 1400 से अधिक है, इन्ही बच्चों के फीस से विद्यालय में कार्यरत 40 से अधिक शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का जीवन–बसर चल रहा है। विद्यालय में दुर दराज के छात्रों को रहने के लिए छात्रावास की भी सुविधा है, जहाँ बहुत ही कम शुल्क लगभग 1500–1600 रूपये में विद्यार्थियों को रहना, खाना, ट्यूशन खर्च, प्रारम्भिक मेडिकल आदि की सुविधा मिल जाती है। इसके अलावे इस एन.जी.ओ. के द्वारा राजगंज स्थित धावाचिता में 'वनस्थली विद्यापीठ, धावाचिता' नामक अंग्रेजी माध्यम से संचालित एक अन्य संस्था भी संचालित है, जहाँ कम शुल्क में अंग्रेजी माध्यम की बहुत ही अच्छी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में भी लगभग 900 से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, यहाँ भी बहुत ही कम शुल्क में छात्रावास की सुविधा है। 2000 से 2200 रूपये मात्र छात्रावास की शुल्क है जो अंगेजी माध्यम की अन्य विद्यालयों के तुलना में बहुत ही कम है।

बिनोद बिहारी स्मारक समीति, धनबाद नामक एन.जी.ओ. द्वारा मंदाकिनी उच्च विद्यालय, बड़ा जमुआ, बरवाअड्डा का संचालन किया जा रहा है। इसकी स्थापना पूर्व सांसद एवं झारखण्ड आन्दोलन के पूरोधा स्व. बिनोद बिहारी महतो ने अपनी माता मंदाकिनी देवी के नाम से 1972 में की। इस विद्यालय को तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा 1982 में स्थापना अनुमति दी गई। तब से लेकर आजतक निरंतर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अर्द्धशहरी एवं ग्रामीण इलाके के बच्चों के बेहतर भविष्य को सँवारने में जुटा हुआ है। लगभग सात सौ से अधिक बच्चे इस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, जो आस पास के ग्रामीण विद्यार्थियों के उपयुक्त शिक्षा के प्रसार हेतु महत्वपूर्ण रूप से भागीदार हैं।

श्री विष्णु सेवाश्रम विद्यापीठ, सिंहदाहा नामक एन.जी.ओ. तोपचाँची प्रखण्ड में अपनी देकर ग्रामीण छात्र–छात्राओं के शिक्षा में भागीदार रहा। श्री विष्णु सेवाश्रम विद्यापीठ, सिंहदाहा की निंव 1979 में समाजसेवी श्री भोला पाण्डेय के नेतृत्व में खोली गई। इतने वर्षों से आस–पास के समाज में व्याप्त अशिक्षा को दूर करने में इसकी भूमिका को निःसंदेह स्वीकारना होगा। विद्यालय के आस–पास अन्य माध्यमिक विद्यालय प्रारम्भ में बहुत दूर अवस्थित थे पर सरकार के राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा कुछ मध्य विद्यालयों को अपग्रेडेड कर उच्च विद्यालय बनाया गया है। एक समय 500 से अधिक बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते थे। वर्ष 2018 में विद्यालय की स्थापना अनुमति को कुछ कारणवश समाप्त कर दिया गया।

एन.जी.ओ. **'रवि महतो स्मारक शिक्षा एवं स्वास्थ्य विकास समिति, महुदा, धनबाद'** द्वारा 'रवि महतो उच्च विद्यालय, महुदा' संचालित हो रहा है। 6 एकड़ में फैले इस विद्यालय में लगभग 2000 (दो हजार) विद्यार्थी अध्ययनरत है। लगभग 35 से अधिक शिक्षकों के परिवारों का भी इसके माध्यम से भरन पोषण हो रहा है। विद्यालय को स्थापना अनुमति वर्ष 2004–05 में मिला। इस विद्यालय की स्थापना सन् 1994 में समाजसेवी नेता एवं पूर्व मंत्री श्री जलेश्वर महतो जी के नेतृत्व में हुआ। आस–पास के बच्चों के शिक्षा के साथ–साथ दूर के बच्चों के लिए विद्यालय में आवासीय सुविधा भी उपलब्ध है। इस विद्यालय के कैंपस में ही बी.एड. कॉलेज का भी निर्माण किया गया है जहाँ से प्रशिक्षित शिक्षक तैयार हो रहे हैं।

एन.जी.ओ. **शक्ति ग्राम विकास संघ, सिजुआ'** द्वारा माध्यमिक विद्यालय 'शहीद शक्तिनाथ महतो स्मारक उच्च विद्यालय, आजाद सिजुआ' का संचालन हो रहा है। इस विद्यालय की स्थापना 1981 में समाजसेवी नेता व पूर्व मंत्री श्री मथुरा प्रसाद महतो के नेतृत्व में किया गया था। इस विद्यालय को स्थापना अनुमति सन् 2008 में मिली एवं सन् 2014 में झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची द्वारा प्रस्वीकृति मिली। इसी कारण इसे सरकारी अनुदान भी प्राप्त हो रहा है। विद्यालय का वार्षिक परीक्षाफल भी काफी अच्छा रहता है। बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ हर तरह का सुविधा प्रदान किया जा रहा है। सत्र 2016–17 में कुल विद्यार्थियों की संख्या 962 थी एवं शिक्षकों की कुल संख्या 11 था। वर्ग नवम् में 287 एवं वर्ग दशम् में 536 विद्यार्थी अध्ययनरत थे।

एन.जी.ओ. '**दिव्य ज्योति विकास समिति, तेतुलमारी**' द्वारा नेहरू बालिका उच्च विद्यालय, तेतुलमारी संचालित है। इस विद्यालय की स्थापना 14 नवम्बर, 1992 में पूर्व विधायक स्व0 उदय कुमार सिंह द्वारा की गयी थी। इस विद्यालय को स्थापना अनुमति 25.11.2008 को मिला। यह विद्यालय अपने नाम के अनुकूल बालिकाओं के शिक्षा के लिए संकल्पित है जो आस–पास के ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्ध रखने वाले बालिकाओं के लिए किसी वरदान से कम नही है। इस विद्यालय से सटा ही इस एन.जी.ओ. के द्वारा एक महिला इंटर महाविद्यालय संचालित हो रहा है, जिसे जैक, राँची द्वारा प्रस्वीकृति मिला हुआ है। इससे भी बालिकाओं के उच्च शिक्षा में काफी मदद मिल रही है।

एन.जी.ओ. **'मारवाड़ी सम्मेलन ट्रस्ट, झरिया'** द्वारा 'मारवाड़ी उच्च विद्यालय, झरिया' का संचालन किया जा रहा है। इस विद्यालय की स्थापना 1951 ई0 में हुआ एवं बिहार सरकार द्वारा 1978 ई0 में मान्यता मिला। 21 डिसमिल के क्षेत्र में अवस्थित यह विद्यालय शहरी क्षेत्र के बच्चों खासकर जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, की शिक्षा में इसकी भूमिका प्रमुख रूप से रहा है। इस विद्यालय के प्रत्येक कमरे में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाया है तथा कम्प्युटर शिक्षा, विज्ञान प्रदर्शनी, सभी प्रकार के पाठ्य सहगामी क्रियायें, प्राथमिक चिकित्सा आदि सुविधायें मौजूद है। वार्षिक परीक्षाफल भी विगत कई वर्षों से काफी अच्छा रहा है। इस विद्यालय को हालाँकि राज्य द्वारा किसी प्रकार का अनुदान नही मिल रहा है, यद्यपि ये राज्य के पूराने स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों में एक ळें

परिचर्चा, निष्कर्ष और सुझावः

विगत कई वर्षों से गैर–सरकारी संगठनों की माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में योगदान का प्रतिशत बढ़ा है। उपरोक्त सभी सात गैर–सरकारी संगठनों के अलावे 40 ऐसे संगठन हैं जो धनबाद जिला के प्रत्येक प्रखण्ड में इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा के सार्वत्रीकरण हेतु मदद दे रहे हैं। बेहतर शिक्षा के प्रति दृढ़ होने के कारण इन विद्यालयों में पढ़ने

वाले बच्चे बहुत ही अच्छी शिक्षा प्राप्त कर देश के लिए उत्तम नागरिक बन रहे हैं। उच्च शिक्षा के प्रति इनमें काफी सजगता देखी जा रही है। इंजीनियंरिंग, मेडिकल, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, व्यवसायी आदि कई क्षेत्रों में यहाँ से निकले बच्चे बेहद सफल भूमिका में नजर आ रहे हैं। धनबाद जिले के अतिरिक्त झारखण्ड के तमाम जिलों में ऐसे एनजीओ कार्यरत हैं, जो बच्चों के एक बड़े भाग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बेहद कम शुल्क लेकर प्रदान कर रहे हैं। अत्यंत महंगी अंग्रेजी स्कूलों के तुलना में और सरकारी विद्यालयों की शिक्षा के प्रति ढुलमुल रवैये के मध्य ऐसे एनजीओ माध्यमिक शिक्षा के विकास में एक कड़ी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सभी विद्यालयों में समाज के पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य निर्बल वर्गों के बच्चों तक बेहतर शिक्षा पहुँचाने में इसकी भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। एक औसत माध्यमिक विद्यालय में जो भी आधारभूत संरचना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल का मैदान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं व्यक्तित्व के विकास से सम्बन्धित जो भी जरूरी चीजें हैं, इन एनजीओ संचालित विद्यालयों में प्राथमिकता के रूप में क्रियांवित हो रहा है।

शिक्षा के वर्तमान स्वरूप एवं समाज के आवश्यकता के अनुरूप बच्चों में बौद्धिक समझ एवं व्यावसायिक गुणों के विकास में भी इस एनजीओ संचालित विद्यालयों द्वारा निरंतर योगदान दिया जा रहा है। उपरोक्त एनजीओ के कार्यप्रणाली एवं उसके परिणामों का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इन विद्यालयों के कारण बेहतर माध्यमिक शिक्षा के प्रसार–प्रचार को बढ़ावा मिला है। यह सरकार के शिक्षा सम्बन्धी लक्ष्य को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भागीदार है, वार्षिक परक्षाफलों के अवलोकन एवं जिला टॉपर विद्यार्थियों के लिस्ट भी इसकी प्रासंगिकता एवं अनिवार्यता को रेखांकित कर देता है। शोधकर्त्ता ने एक शोध में पाया था कि धनबाद जिला के प्रथम पाँच टॉपर विद्यार्थियों में 60 प्रतिशत से अधिक छात्र इन एनजीओ संचालित विद्यालयों में पढ़े थे। निःसंदेह ये विद्यालय झारखण्ड में बेहतर शिक्षा के प्रसार में मेरूदण्ड स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। सरकार को इनके संचालन हेतु अधिकाधिक वित्तीय मदद अनुदान के रूप में देनी चाहिए ताकि वहाँ कार्यरत शिक्षकों के मानदेय एवं विद्यालय के अन्य आधारभूत आवश्यकता एवं सुधार के लक्ष्य को पूरा करने में सहयोगी बन सके।

संदर्भ–ग्रन्थ सूचीः

[1]. NPE (1986), National Policy on Education, 1986, New Delhi: Ministry of Human Resource Development, Government of India.

[2]. RTE (2009), The Right of Children to free and Compulsory Education Act 2009 (C.I-4), New Delhi: Ministry of Law and Justice.

[3]. SSA (2011), Sarva Shiksha Abhiyan: Framework for Implementation, based on the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009, New Delhi, M.R.H.D., Department of School Education & Literacy.

[4]. World Bank (2009), Secondary Education in India: Universalizing Opportunity Human Development Unit, South Asi Region, Document of World Bank January, 2009.

[5]. UN (1945), "Non-Governmental Organizations", Indian Mirror, Retrieved from http:/www.IndianMirror.com/tourism/nongovernmental organizations.

[6]. World Bank (1990), "How the World Banks with Non-Governmental Organization", Retrieved from http://www.gdrc.org/ngo/wb-define html.

[7]. Willets, P. (1996), "What is an NGO?" Retrieved from http://www.staffcity.ac.uk/p.willets/cs- ntwks/ngo-art/htm, 4-5.

[8]. Hkkjr 2013] ^lwpuk ,oa izlkj.k ea=ky;*] Hkkjr ljdkj

[9]. Jharkhant (2008), "Strategies for Universalizing Secondary Education: Role of Boards", 19th to 21st December 2008, Ranchi.

[10]. egrks] r:.k dqekj ¼2018½% ^ljdkjh ,oa xSj&ljdkjh f'k{k.k laLFkkuksa dk okf'kZd ek/;fed ijh{kkQy dk rqYkukRed v/;;u% >kj[k.M jkT; varxZr /kuckn ftys ds fo"ks'k lanHkZ esa*] The International Journal of Advanced Research in Multidisciplinary Sciences, Vol-1, issue-2, June-Dec2018, Bindki, Fatehpur, p. 60-66.